न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुश्री नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 82/2024

1. मंगला पुत्र लखमा
2. गणेश पुत्र लखमा

समस्त जाति रैगर निवासी प्रतापपुरा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र लादू
2. दूलीचन्द पुत्र लादू– फौत के बजाय

2/1– दिनेश कुमार पुत्र स्व0 दुलीचन्द

2/2– महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 दुलीचन्द

2/3– हेमराज पुत्र स्व0 दुलीचन्द

2/4– चेतन पुत्र स्व0 दुलीचन्द

2/5– गीता देवी पत्नि स्व0 दुलीचन्द

समस्त जाति रैगर निवासी प्रतापपुरा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

3. तहसीलदार तहसील जोबनेर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान जाखड़ अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :– 29/08/2025

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादी सं01ल03 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात वाके ग्राम प्रतापपुरा, प0ह0 जोरपुरा जोबनेर भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित खाता सं0 23 के ख0न0 243 रकबा 1.1381 है0 कुल किता–1 कुल रकबा 1.1381 है0 है। जिसमे वादीगण सं01 मंगला पुत्र लखमा का 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी सं01 नाथू पुत्र लादू का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी सं02 दूलीचन्द पुत्र लादू खातेदार फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण 2/1 ल0 2/5 है। जिसका 1/6 हिस्सा है। जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादग्रस्त आराजीयात का मद नं01 मे जो वर्णन दिया गया है इसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से आपसी सहमती से करीब 20 वर्ष पहले से

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है वादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है जिस पर मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से की जमीन को काफी उन्नत व विकसित कर रखा है।

वादी ने दिनांक 16/7/2024 को प्रतिवादी सं01ल02 को विवादित भूमि का मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01ल02 ने साफ मना कर दिया तथा वादीगण के मौके के हक व हिस्से की भूमि पर अवैध रूप कब्जा करने की धमकी दी इस लिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण स01ल02 के खिलाफ पेश करना आवश्यक है।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं01ल03 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात खाता सं0 23 के ख0न0 243 रकबा 1.1381 है0 कुल किता–1 कुल रकबा 1.1381 है0 है। वाके ग्राम प्रतापपुरा, प0ह0 जोरपुरा जोबनेर भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित जिसमे वादीगण सं01 मंगला पुत्र लखमा का 1/3 हिस्सा है। वादी सं02 गणेश पुत्र लखमा का 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी सं01 नाथू पुत्र लादू का 1/6 हिस्सा है, प्रतिवादी सं02 दूलीचन्द पुत्र लादू खातेदार फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण 2/1 ल0 2/5 है। जिसका 1/6 हिस्सा है। जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसका मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री फरमायी जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर अन्तिम डिक्री पारित फरमायी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे अमल दरामद करवाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील वादीगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीयागण ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 का अवलोकन किया। विवादित ख0न0 243 रकबा 1.1381 हे0 वाकै ग्राम प्रतापपुरा तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण मौके कब्जे के आधार पर विभाजन करवाने की अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

अतः दावा वादीगण बावत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता होने से वादीगण का वाद दिनांक 06.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2025 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 12.08.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

बहस कुरेजात अधिवक्ता वादीगण सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 12.08.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 12.08.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 12.08.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम प्रतापपुरा

क.स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	नाथू पुत्र लादू हि0 1/2 दिनेश कुमार, महेन्द्र कुमार, हेमराज, चेतन पुत्र दुलीचन्द गीता देवी पत्नि दुलीचन्द हि0 1/2 कॉम रैगर सा.देह	ए/243	0.3614	बारानी 2
2	गणेश पुत्र लखमा कॉम रैगर सा.देह	बी/243	0.3614	बारानी 2
3	मंगला पुत्र लखमा कॉम रैगर सा.देह	सी/243	0.3614	बारानी 2
4	गणेश, मंगला पुत्र लखमा हि0 2/3 नाथू पुत्र लादू हि0 1/6 दिनेश कुमार, महेन्द्र कुमार, हेमराज, चेतन पुत्र दुलीचन्द गीता देवी पत्नि दुलीचन्द हि0 1/6 कॉम रैगर सा.देह।	डी/243	0.0539	बारानी 2 (रास्ता)

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 12.08.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 12.08.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नेहा पाठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर